384

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल ग्वालियर

जिला–ग्वालियर(म.प्र.)

निगरानी–4107/2018/विदिशा/भू.-27.

प्र.कं.   / 018 निगरानी

1.दीपक तिवारी आयु 48 **बर्ष** पुत्र श्री विद्यानंन्द तिवारी निवासी पुरानी नगर पालिका के पास, गांधीचौक, गंज बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

2. श्रीमति किरण तिवारी आयु 45 बर्ष पत्नि श्री दीपक तिवारी, निवासी पुरानी नगर पालिका के पास, गांधीचौक, गंज बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता

श्री आर० बी० शर्मा अभि० द्वारा आज 29-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-7-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. कलेक्टर सिंह पुत्र प्रभूलाल यादव, निवासी विदिशा (म.प्र.) हाल नि. पलासपुर तह. नटेरन जिला विदिशा

2.संतोष पुत्र श्यामलाल जाति–ब्राम्हण निवासी राजेंन्द्र नगर, बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)..............निगरानीग्रहिता

1. निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता.
2. खिलाफ आदेश सीमांकन दिनांक 06.06.2018 न्यायालय तहसीलदार. गंजबासौदा, जिला विदिशा(म.प्र.), प्रकरण कं. 140–अ–12/17–18. संतोष, कलेक्टरसिंह बनाम शासन, ग्राम पठारी–बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति 4 पेज 1 से 9
पृष्ठ क्र. 1
दिनांक 29-06-18
हस्ताक्षर व नाम
29-06-18

श्रीमानजी,

निगरानी इस प्रकार है :–

1. यह कि आवेदकगण ग्राम पठारी बासौदा के खसरा नं.128/1, 128/2, 129, 130, 131, 127/3, के अपने परिवार के साथ भूमि स्वामी है एवं मौके पर काबिज है। मौके पर आवेदक की भूमि पर मंन्दिर बना हुआ है, जिसके संबंध में मध्यप्रदेश शासन ने मंन्दिर को 127/2/2 का भाग बताते हुये, अतिकामक आवेदकगण को मानते हुये प्रकरण तहसील में पंजीबद्व किया और बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया, जिसके संबंध में दीवानी वाद की अपील प्रकरण कं. 99/16, न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गंजबासौदा के न्यायालय से दि.03.09. ... को अतिकामक न मानते हुये अपील स्वीकार की, वादीगण को कब्जाधारी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4107/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	